

...भरोसे का प्रतीक !

( भारत सरकार का उपक्रम )

सक्रिय स्व पटना साउथ, २० तल्ला, चन्द्रपुरा थेलस, पश्चिमी गांधी बैदान, बैंक रोड, पटना-८००००१, बिहार।

## अचल सम्पत्ति के बिक्री हतु बिक्री सूचना

प्रतिभूत है। (प्रत्येक नियम के अन्तम 8(1) के प्रवधन के साथ पाठ्य विषय आस्तयों के प्रतिभूतकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूत हृत प्रवतन आधारनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तयों के विकल्प हेतु ई-नीलामी बिक्री सचना। नियमान्वयन पार्ट द्वितीय कृपया से उत्तराधिकारी (ओं), जमानतप्राप्त (ओं) पर दंशकर्ता (ओं) को मनित किया जाता है कि नीचे तारीख अचल सम्बित जो सम्बित लेनदार के पास प्रियांका/दंशक

संवादारणा एवं विशेष रूप से उत्तराधिकारी (आ), जनमनदार (रो) एवं वधककाठी (आ) को सुनील किया जाता है कि निचे बताए अचल सम्पत्ति का सुरक्षित लेनदार पर कास प्रारम्भ वधक सम्पत्ति का साकृतिक प्राप्ति प्राप्ति जैशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार) का प्राप्तिकाल अधिकारी द्वारा सम्पत्ति याहै कि निचे लेनदारित उत्तराधिकारी (आ), जनमनदार (रो) एवं वधककाठी (आ) से पंजाब नैशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार) की बाकी राशि की वस्तु के लिए निम्नलिखित सम्पत्तियों को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" एवं "वहाँ को कृष्ण भी है" के

आधार पर निम्नलिखित तालिका में दिये तिथि एवं समय पर बची जाएगी। अधिक्षित मूल्य एवं अग्रणी राशि भी नीचे तालिका में सम्पत्ति के सामने वर्णित है।

लॉट सं.	शाया का नाम	क ) सफेदी अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के तहत	बंधक अचल सप्तिका विवरण/ मालिक का नाम (सप्तियों के बंधककर्ता)	क ) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	इनीलायी की तारिख/समय	सुरक्षित लेनदारों
	खाता का नाम					

**बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण**

लाइ सं.	शाखा का नाम	क) सरफेस आवायनम् 2002 के धारा 13( 2 ) के तहत माँग सूचना की तिथि ख) कब्ज़ा राशि ग) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13( 4 ) के तहत कब्ज़ा सूचना की तिथि घ) कब्ज़ा स्वरूप सांकेतिक/भौतिक/संरचनात्मक	बंधक अधिल सम्पादित का विवरण/ मालिक का नाम ( सम्पत्तियों के बंधककर्ता )	क) अराक्षित मूल्य ( रु. लाख में ) ख) ईएमडी ( केवाईसी एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख ) ग) बोली वद्धि राशि	इ-नीलामी का तारिख/समय सुरक्षित लेनदारों के ज्ञात एनक्रोस्न का विवरण	
1.	शाखा: ड्रान्सपोर्ट नगर, पटना  खाता नं.: 4057001B00003954  ऋणी: सिन्हा स्क्वायर (सिन्हा कन्स्ट्रक्शन का यूनिट) प्रमोटर: अनिरुद्ध कुमार	क) 03.07.2019 ख) ₹93876506.50 (रु. नौ करोड़ अड़ितिस लाख छहतर हजार पाँच सौ छः एवं पैसे पचास मात्र) साथ में अद्यतन व्याज, लागत एवं अन्य शुल्क ग) 21.10.2019 घ) सांकेतिक	जमीन एवं बेसमेंट + जी+5 भवन का सामिक्षक बंधक जो मॉल्ला-कास्टर्स टाउन, मौजा-श्यामपांज, देवधर, झारखण्ड में अवस्थित है, प्लॉट नं.-833(भाग), होलिङा नं.-318, जमाबंदी नं.-96/3258, थाना नं.-413, सेल डीड नं.-344/2018 अनिरुद्ध कुमार के नाम से है, रकवा-7153 वर्गफोट। चौहांदी:-उत्तर-लक्ष्मी देवी बरनवाल, दाक्षण-3 फोट चौड़ी गली, पूरब-सेठ सुरज मल जालान रोड, पश्चिम-‘नृत्य धाम’ सम्पत्ति का भाग।	A) 7,21,99,260/- B) 72,10,926/- (09.08.2021)  C) 10,000/-	12.08.2021 From 12:00 noon to 1:00 pm	शृंग
1.	विक्री, प्रतिभूति हित (प्रबंधन) नियम 2002 और निम्न नियम एवं शर्तों के अधीन होगी। नीलामी विक्री “ई-नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन” पोर्टल <a href="http://www.">http://www.</a>					

2. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नं. और ईमेल-आईडी का उपयोग करके पोर्टल (<http://www.mstcaution.com>) पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित कवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। कवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (इस प्रक्रिया में 2 कार्यदिवस लगा सकते हैं)। इसके बाद इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को पोर्टल में ई-नीलामी की तारीख और समय से पहले (09.08.2021) अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलट में ऑनलाइन मॉड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। कवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण, सत्यापण और वॉलट में ईएमडी के हस्तांतरण को नीलामी से पहले अग्रिम रूप से अच्छी तरफ से पूरा किया जाना चाहिए।

3. उपर्युक्त के रूप में अग्रिम धन जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान 3 मोड अर्थात् एनईएफटी/नकद/ट्रान्सफर (से चलान जनरेट करने के बाद) (<https://www.mstcecommerce.com>) बोलीदाताओं के ईएमडी वॉलट में ऑनलाईन किया जाएगा। एनईएफटी ट्रान्सफर किसी भी शेड्यूल कॉर्मशियल बैंक से किया जा सकता है, लेकिन कैश/ट्रान्सफर के लिए बोली लगानेवाले को पंजाब नैशनल बैंक ब्रान्च का दीरा करना होगा, ईएमडी का भुगतान किसी अन्य मोड जैसे चेक से स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं को आवश्यक ईएमडी ऑनलाईन जमा नहीं करने पर ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंजित धनराशि किसी भी व्याज का वहन नहीं करेगी।

4. ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (<https://www.mstcecommerce.com>) ई-नीलामी सेवा प्रदाता M/s MSTC Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-से, ए.जे.सी. बोर्ड, कोलकाता-700020 में है। (सम्पर्क फोन और टोल फ्री नं.-079-41072412/4114/413 04 1800-103-5342)। इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं द्वारा ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर अँनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

5. विक्री के सामान्य नियमों और शर्तों वाली विक्री सूचना निम्नलिखित वेबसाइटोंवें पेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है:- (1) <https://www.ibapi.in>, (2) <https://eprocure.gov.in/epublish/app>, (3) <https://www.mstcecommerce.com>, (4) [www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in),

6. ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी ई-नीलामी की विक्री सूचना, नियम व शर्तों की प्रतियां, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर ई-नीलामी से संबंधित मदद मैनुअल e-B-Kryp-IBAPI पोर्टल (<https://www.ibapi.in>) से नियुक्त डाउनलोड कर सकते हैं।

7. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नं.- और ई-मेल आईडी का उपयोग करके पोर्टल (<http://www.mstcaution.com>) पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, वे अपेक्षित कवाईसी दस्तावेज अपलोड करें। एक बाद कवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा। (इसके लिए 2 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोली दाताओं को अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। अपने वॉलेट में पर्याप्त ईएमडी होने के बाद ही, इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी विक्री के लिये पर बोली लगा सकते हैं।

8. बोली लगाने के समय बोलीदाता के ग्लोबल वॉलेट में पर्याप्त शेष राशि (>EMD amount) होनी चाहिए।

9. ई-नीलामी के दौरान इंटर से बोली लगानेवालों को अंतिम बोली के लिए उच्चतर बोली लगाने को अनुमति दी जाएगी और बोली राशि की न्युनतम बुद्धि बोलीदाताओं की अंतिम उच्च बोली के लिए **₹.10,000/-** की होनी चाहिए। बोली लगाने वालों को क्रमिक उच्चतर बोली लगाने के लिए दस मिनट का समय दिया जायेगा और यदि किसी बोलीदाता द्वारा अंतिम उच्चतम बोली के लिए दस मिनट की समाप्ति के बाद किसी भी उच्चतर बोली की पेशकश नहीं की जाती है, तो ई-नीलामी बंद हो जाएगी।

10. यह नीलामी की परिचालन सूचना, विक्री नियमावली, ई-ऑफरन के परिचालन से संबंधित हैल्प मैनुअल नियमों और शर्तों को टीक से पढ़ने और उन्हे सख्ती से पालन करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी।  
(1) ई-नीलामी प्रक्रिया से पहले या इस दौरान किसी भी कठिनाई होने पर सहायता/हेतु हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता के अधिकृत प्रतिनिधि (<https://www.mstcecommerce.com>) से संपर्क करना जा सकता है। जिसका विवरण ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है।

11. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को हमारे उपरोक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। (उनके द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को हमारे उपरोक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।)

12. सुरक्षित परिस्थिति को आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेचा जायेगा।

13. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) (ईएमडी जमा राशि घटाकर) उसी दिन या अगले कार्यदिवस में जमा करना होगा एवं शेष राशि का भुगतान बैंकसे चेक/डीमार्ड ड्राप्ट के रूप में नीलामी की लिंग से 15 दिनों के भीतर जमा किया जायेगा। ड्राप्ट किसी भी अनुसूचित व्यवसायिक बैंक द्वारा “प्राधिकृत अधिकारी, प० नै० बैंक, A/C (4057003171160) पेपेवल at” जारी किया जाएगा। निर्धारित समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफलता के मामले में देव, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक द्वारा जबकि कर ली जायेगी और प्राधिकृत अधिकारी के प्रभास नियमों को नये सिरे से नीलामी/विक्री करने की स्वतंत्रता होगी और डिफॉल्टर बोली लगाने वाले के पास जब राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा।

14. सफल बोलीदाता को विक्री पर बोली लगाने वाले के बाद बैंक के बाद बैंक अंतिम राशि के रूप 75% पूर्ण राशि के जमा के समय ही टीटीडीएस किया जाना है।

15. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि बोली स्वीकार्य नहीं पाया जाता है तो, या स्पष्टगति/रद्द/यालने/बंद करने या किसी भी बोली नीलामी की शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

16. विक्री प्रमाण-पत्र अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण बोली राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता के पक्ष में जारी किया जाएगा।

17. सम्पत्तियों को “जीसा है, जहाँ है” एवं “जो कुछ भी है” के आधार पर बेचा जा रहा है।

18. अनुसूची के निर्दिष्ट सुरक्षित परिस्थितियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटी, गलत कथन या चुक्क के लिए उत्तरदाता नहीं होगा।

19. बोली लगाने से पहले यह बोली लगाने वालों की जिम्मेदारी होगी कि वे परिस्थिति और विनिर्देश के बारे में नियरक्षण करें और स्वयं को सन्तुष्ट करें। बोली लगाने वाले विवरण के अनुसार बोली लगाने वाले अधिकारी के परामर्श से संपत्ति का नियरक्षण करने के बाद वाली होने के लिए जात नहीं होने के बाद वाली लगाने वाले विवरण के अनुसार बोली लगाने वाले अधिकारी द्वारा उत्तरदाता नहीं होगा।

20. सभी वैधानिक देव/परिचर शुल्क/पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित अन्य देव राशि क्रेता को वहन करनी होगी।

21. प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी प्रभार, ग्रहणाधिकार, एनकम्ब्रेस्या सरकार या किसी अन्य को देव सम्पत्तियों (ई-नीलामी) के संबंध में बैंक को जात नहीं होने के लिए जिम्मेदारी नहीं होगी। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे संपत्तियों पर साँवधिक के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताल करें, जिसमें वैधानिक दायित्व, सम्पत्ति कर का बकाया आदि शामिल हैं।

22. बोली लगाने वाले को उत्तित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पारक बैंक-अप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट की विफलता बिजली की विफलता या तकनीकी कारणों या आवश्यकताओं के कारण बैंक किसी भी व्यावधान के लिए उत्तरदाता नहीं होगा।

23. प्रतिनिधि को नियुक्त करने और स्व-बोली लगाने और नीलामी में भाग लेने के लिए बैंक स्वतंत्र है।

के लिए, कृपया निम्न वेबसाइट देखें: <https://www.ibapi.in>, <https://e>

<https://www.mstcecommerce.com/>, [www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in)

जोट:- विवाह की स्थिति में अंगोजी प्राप्त सम्भव होगा।

स्थान : पटना

**पाठ:-** विवाद का स्थान में अन्वरजा पाठ मात्र होगा।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ